A8
1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 5/13

बीरबलसिंह पुत्र श्री जोरासिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर।

– अपीलार्थी

बनाम

1. नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बखतावरसिंह जाति कुम्हार साकिन संगरिया जिला हनुमानगढ
2. छिन्द्रपालकौर
3. अक्कीकौर
4. बसो पुत्रीयान भोलासिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर(पंजाब)
5. नक्षत्रसिंह
6. बलतेजसिंह
7. गुरमेलसिंह
8. जसमेलसिंह पिसरान सम्पूर्णसिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर
9. बलवीरकौर
10. नसीबकौर पुत्रीयान सम्पूर्णसिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर
11. तहसीलदार (भू0 अभिलेख) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सादुलशहर इंतकाल सं0 475 दिनांक 30.11.12

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री खेतपाल सिहाग, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 10
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 11

आदेश **दिनांक : 04–11–15**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 30–11–12 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि माघीसिंह के नाम चक 6 एसजीएस के प0 सं0 61/129 का दो बीघा तथा पं0 सं0 62/129 का 3 बीघा कुल 5 बीघा चक 7 एस डी एस के पं0 नं0 69/132 का दो बीघा प0 नं0 68/132 का 10 बीघा प0 सं0 67/132 का 6 बीघा कुल 18 बीघा दोनों चकों का कुल रकबा 23 बीघा खातेदारी रकबा था। माघीसिंह के देहान्त के बाद उसकी पत्नी श्यामकौर बेवा माघीसिंह के नाम से जरिये वसीयत दिनांक 26–11–77 के नाम खातेदारी दर्ज हो गया। तत्पश्चात् श्यामकौर ने अपने जीवनकाल में उक्त 23 बीघा की वसीयत दिनांक 2–1–79 को अपनी पुत्री जंगीरकौर पत्नी जोरासिंह के नाम से कर दी थी। कुल 23 बीघा में से 18 बीघा का इंतकाल जंगीरकौर के नाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

से दर्ज हो गया किन्तु सहबन से 5 बीघा जो चक 6 एस डी एस का रकबा श्यामकौर के नाम से रह गया। सदाकौर के वारिसान द्वारा एक नियमित वाद बअदालत सहायक जिलाधीश, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 9–9–94 को अ0 धारा 53, 88, 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी बीरबलसिंह द्वारा शेष रही 5 बीघा आराजी का काउण्टर क्लेम जवाब दावा के साथ प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन के दौरान अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। सदाकौर की मृत्यू 45 साल पूर्व हो चुकी थी तथा उसके वारिसान बख्तावरसिंह, दलीपकौर, सरजीतकौर, बलवीरकौर की मृत्यू पंजाब प्रान्त के जिला मुक्तसर के भिठड़ी गॉव में हो चुकी हैं। मौके पर कब्जा काश्त आज दिनांक सदाकौर के वारिसान के पास कभी नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त की जॉच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी मौके के कब्जे एवं वारिसानों को नोटिस एवं सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि माघीसिंह के नाम चक 6 एसजीएस व चक 7 एस डी एस के दोनों चकों का कुल रकबा 23 बीघा खातेदारी रकबा था। माघीसिंह के देहान्त के बाद उसकी पत्नी श्यामकौर के नाम से जरिये वसीयत दिनांक 26–11–77 के नाम खातेदारी दर्ज हो गया। तत्पश्चात् श्यामकौर ने अपने जीवनकाल में उक्त 23 बीघा की वसीयत दिनांक 2–1–79 को अपनी पुत्री जंगीरकौर के नाम से कर दी थी। कुल 23 बीघा में से 18 बीघा का इंतकाल जंगीरकौर के नाम से दर्ज हो गया किन्तु सहबन से 5 बीघा जो चक 6 एस डी एस का रकबा श्यामकौर के नाम से रह गया। सदाकौर के वारिसान द्वारा एक नियमित वाद बअदालत सहायक जिलाधीश, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 9–9–94 को अ0 धारा 53, 88, 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी बीरबलसिंह द्वारा शेष रही 5 बीघा आराजी का काउण्टर क्लेम जवाब दावा के साथ प्रस्तुत किया गया। नियमित वाद के विचाराधीन के दौरान अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। सदाकौर की मृत्यू 45 साल पूर्व हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त की जॉच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी मौके के कब्जे एवं वारिसानों को नोटिस एवं सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में यह भी कहा है कि दिनांक 26–3–14 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अपीलाधीन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 475 दिनांक 30–11–12 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलाधीन भूमि के कब्जे, वारिसानों के संबंध में जॉच करते हुए एवं नियमित वाद में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–1–14 व 15–1–14 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26–11–15 को उपस्थित हों। आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 04–11–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/15

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)